प्रपत्र–2.2

परियोजना का नामः– राज्य योजना के अन्तर्गत लिंगवाणा से सौड़ू–रानीताल मोल्ठा मोटर मार्ग का नव निर्माण।

कार्यालय उप जिलाधिकारी, **कीर्तिनगर**
अनुसूचित जनजाति और परम्परागत वनवासी अधिनियम 2006 के तहत

प्रमाण–पत्र

उपखण्ड स्तरीय समिति, कीर्तिनगर

उपखण्ड **कीर्तिनगर** परिक्षेत्र के अन्तर्गत **लिंगवाणा सौड़ू रानीताल मोल्ठा मोटर मार्ग** (0.0175 है आरक्षित वन भूमि, 1.470 **हे0** सिविल सोयम भूमि शून्य है वन पंचायत भूमि) अर्थात कुल 1.4875 **हे0** वन भूमि का **लोक निर्माण विभाग कीर्तिनगर** प्रयोक्ता एजेन्सी के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु अनूसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वनवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय समिति, (तहसील **देवप्रयाग**) की दिनांक 1/09/05 .... को सम्पन्न बैठक की कार्यवाही का विवरणः–

अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं नियम 2008 के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की बैठक श्री दीपेन्द्र नेगी, उप जिलाधिकारी एवं अध्यक्ष उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की अध्यक्षता में आयोजित की गयी। बैठक में माननीय सदस्यों की उपस्थिति निम्नानुसार है।

1–	श्री दीपेन्द्र नेगी	उपजिलाधिकारी	अध्यक्ष
2–	श्री डी०पी० वल्दोनी	उप प्रभागीय वनाधिकारी	सदस्य
3–	श्री विनोद कुमार उनियाल	सहायक समाज कल्याण अधिकारी	सदस्य / सचिव
4–	श्री मती सुनीता देवी	बी0डी0सी0 क्षेत्र	सदस्य

उपखण्ड सचिव द्वारा माननीय सदस्यों का बैठक में स्वागत करते हुए उप जिलाधिकारी की अनुमति से बैठक की कार्यवाही प्रारम्भ की गई। माननीय सदस्यों को अवगत कराया गया कि **लिंगवाणा सौड़ू रानीताल मोल्ठा मोटर मार्ग** परियोजना हेतु 1.4875 **हे0** वन भूमि **लोक निर्माण विभाग कीर्तिनगर** प्रयोक्ता एजेन्सी के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु प्रस्ताव माननीय सदस्यों के समक्ष रखा गया। ग्राम सभा के अन्तर्गत वनाधिकार का कोई मामला लम्बित नहीं है। उक्त भूमि का संबंधित ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से पारित प्रस्ताव के आधार पर सार्वजनिक उपयोग हेतु प्रत्यावर्तन की अनुशंसा की गई है।

संबंधित उप प्रभागीय वनाधिकारी, **देवप्रयाग, उपवन प्रभाग नरेन्द्रनगर वन प्रभाग** द्वारा अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं तत्सम्बंधी नियम 2008 के प्राविधान को स्पश्ट करते हुए जानकारी से माननीय सदस्यों को अवगत कराया कि वन अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत किसी भी दावेदार का दावा/आवेदन पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है। इस संबंध में ग्राम सभा/पंचायत द्वारा अनापत्ति जारी की जा चुकी है। अतः प्रकरण में उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति द्वारा अनापत्ति जारी की जा सकती है।

बैठक में सर्वसम्मति से उपखण्ड **कीर्तिनगर** परिक्षेत्र के अन्तर्गत **लिंगवाणा से सौडू रानीताल मोल्ठा मोटर मोटर मार्ग** परियोजना के निर्माण **हेतु** 1.4875 **हे0 वन भूमि लोक निर्माण विभाग कीर्तिनगर** प्रयोक्ता एजेन्सी को जनहित में सक्षम प्राधिकारी से अनुमति प्राप्त कर प्रत्यावर्तित किये जाने पर सहमति व्यक्त की गयी।

उप जिलाधिकारी/अक्ष्यक्ष
उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति
उप जिलाधिकारी कीर्तिनगर, टिहरी गढ़वाल
तहसील–..........
जनपद ....

प्रतिलिपि : जिलाधिकारी, टिहरी गढ़वाल को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

उप जिलाधिकारी/अक्ष्यक्ष
उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति
तहसील–..........
उप जिलाधिकारी कीर्तिनगर, टिहरी गढ़वाल
जनपद..........

प्र1174 30

(53)

It is further certified that – Minutes of meeting of **Lingwana to saoru, ranital to moltha** Motor Road (4.350 km.) regarding FRA is as following.

Sr. No.		Remarks
(a)	The complete process for identification and settlement of rights under the FRA has been carried out for the entire 1.4875 hectares of forest area proposed for diversion. A copy of records of all consultations and meeting of the forest rights committee(s), Gram Maletha (s), Sub- Division Level Committee(s) and the District Level Committee are enclosed as annexure to annexure.	Yes copy of records attached as there are no habitants belonging to schedules tribes and other traditional forest Dwellers.
(b)	The Diversion of Forest land for facilities managed by the Government as required under section 3 (2) of the FRA have been completed and the Gram **Jhanau (Jurana)** have given their consent to it.	Yes copy of records attached as there are no habitants belonging to schedules tribes and other traditional Forest Dwellers. No objection certificate of concerned villages regarding construction of aforesaid motor road is attached.
(c)	The proposal does not involve recognized rights of primitive Tribal Groups and Pre-agricultural communities.	Yes copy of records attached as there are no habitants belonging to schedules tribes and other traditional Forest Dwellers.

जिला पंचायत सदस्य
टिहरी गढ़वाल

जिला समाज कल्याण अधिकारी
टिहरी गढ़वाल

(Stamp: जिला समाज कल्याण अधिकारी, नरेन्द्रनगर, टिहरी गढ़वाल)

प्रभागीय वनाधिकारी
नरेन्द्रनगर वन प्रभाग
मुनिकीरेती

(Stamp: प्रभागीय वनाधिकारी, नरेन्द्रनगर वन प्रभाग, मुनि-की-रेती)

(Stamp: उप प्रभागीय वनाधिकारी, देवप्रयाग उप वन प्रभाग, नरेन्द्रनगर वन प्रभाग, मुनिकीरेती)

Signature
(ज्योति नीरज खैरवाल)
जिलाधिकारी
टिहरी गढ़वाल।

Annexure-I

प्रारूप सं0 30

FORM – I

(For linear Projects)

Government of **Uttarakhand**

Office of the District Collector **Tehri Garhwal**

No. 986/XXVII–100(2015-16) Dated 28/12/2015

TO WHOMSOEVER IT MAY CONCERN

In compliance of the Ministry of Environment and forest (MoEF), Government of India letter No. 11-9/98-FC (pt) dated 3rd August 2009 wherein the MoEF issued guidelines on submission of evidences for having intiated and completed the process of settelement of rights under the Scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act 2006 (FRA for short) on the forest land proposed to be diverted for non-forest purposes read with MoEFs letter dated 5th February 2013 wherein MoEF issued certain relaxation in respect of linear projects, it is certified that 1.4875 **hact.** of forest land proposed to be deverted in favour of **Public Works Department , Kirtiangar** for **Construction of Lingwana Sauru to Ranital Motor Road** in **Tehri Garhwal** District falls within jurisdiction of **Lingwana, Sauru, Ranital & Moltha** Villages in **Devprayag** tehsils.

It is further certified that:

a) the complete process for indetification and settlement of right under it FRA has been carried out for the entire **1.4875 Hac.** of forest land proposed for diversion. A copy of records of all consultation and meetings of the forest Rights Committees, Gram Sabha, Sub Division Level Committees and the District Level Committee are enclosed as annexure **23** to annexure 23.2

b) the diversion of forest land for facilities managed by the Government as required under section 3 (2) of the FRA have been completed and the Grama Sabha have given their consent to it.

c) the proposal does not invole recognised rights of Primitive Tribal Groups and Pre-Agricultural Communities.

Encl: As above

Signature

(ज्योति नीरज खैरवाल)

जिलाधिकारी

(टिहरी गढ़वाल।)

Distt. Colector